(5

संख्या 15/3/2015-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 16 जनवरी, 2015

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि कई एक अवसरों पर इस मंत्रालय में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान अथवा असम्मान के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अतः, इसे पूर्ण सम्मान मिलना अपेक्षित है। तदनुसार, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002, प्रत्येक की एक प्रति, उक्त अधिनियम तथा झंडा संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न की जाती हैं। आपसे यह अनुरोध है कि इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम संचालित करें।

2. इस मंत्रालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि महत्वपूर्ण अवसरों पर कागज के झंडों के स्थान पर प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि, प्लास्टिक से बने झंडे कागज के समान जैविक रूप से अपघट्य (bio-degradable) नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं और ये वातावरण के लिए भी हानिकारक होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का सम्मानपूर्वक उचित निपटान सुनिश्चित करना एक समस्या है। यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में, या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

3. अतः, आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता के प्रावधान के अनुरूप, जनता द्वारा केवल कागज से बने झंडों का ही प्रयोग किया जाए तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों को न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाय। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाय। प्लास्टिक से बने झंडे का उपयोग न करने संबंधी व्यापक प्रचार इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के साथ किया जाए।

संलग्नक - यथोपरि

भवदीया,

म. श्यामला

(श्यामला मोहन)
निदेशक, भारत सरकार
दूरभाष : 2309 2587

प्रति प्रेषित:-

1. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
11. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
12. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
13. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
14. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
15. 20 अतिरिक्त प्रतियां ।

म. श्यामला

(श्यामला मोहन)
निदेशक, भारत सरकार
दूरभाष 2309 2587

संख्या 15/3/2015-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 16 जनवरी, 2015

19 JAN 20

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न सरकारी वेबसाइटों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उचित रूप से प्रदर्शित नहीं किये जाने के संबंध में इस मंत्रालय में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

2. राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग/प्रदर्शन/ध्वजारोहण को भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971, द्वारा विनियमित किया जाता है। जो इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर उपलब्ध है।

3. अतएव आपसे अनुरोध है कि अपने वेबसाइट एवं अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की वेबसाइटों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के समुचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने हेतु उपर्युक्त अधिनियम एवं संहिता का कड़ाई से सुनिश्चित करें।

भवदीया,

श्यामला मोहन

(श्यामला मोहन)
निदेशक, भारत सरकार
दूरभाष : 2309 2587

प्रति प्रेषित:-

1. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
11. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
12. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।

(4)

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971

1971 की संख्या 69 (23 दिसम्बर, 1971)

(राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित)

2005 की संख्या 51 (20 दिसम्बर, 2005)

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण के लिए एक अधिनियम

इसे संसद द्वारा भारतीय गणतंत्र के बाइसवें वर्ष में निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाए:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार

(1) यह अधिनियम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

2. भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा भारतीय संविधान का अपमान

कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में, या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से, या जुमनि से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1- भारत के संविधान में संशोधन करने या विधिसम्मत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते हुए की गई कोई टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।

स्पष्टीकरण 2- 'भारतीय राष्ट्रीय झंडे' की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, ड्राइंग या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3- 'सार्वजनिक स्थान' की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहां जनता की पहुंच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।

*स्पष्टीकरण 4- भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अपमान का अर्थ निम्नलिखित होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) भारतीय राष्ट्रीय झंडे का घोर अपमान या अनादर करना; या

(ख) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे को झुकाना; या

(ग) सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार जिन अवसरों पर सरकारी भवनों पर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाकर फहराया जाना हो, उन अवसरों के सिवाय झंडे को आधा झुकाकर फहराना; या

(घ) राजकीय अंत्येष्टियों या सशस्त्र सैन्य बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों की अंत्येष्टियों को छोड़कर झंडे का किसी अन्य रूप में लपेटने के लिए प्रयोग करना; या

(ङ) #भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का,

(i) किसी भी प्रकार की ऐसी वेषभूषा, वर्दी या उपसाधन के, जो किसी व्यक्ति की कमर से नीचे पहना जाता है, किसी भाग के रूप में, या

(ii) कुशनों, रूमालों नैपकिनों, अधोवस्त्रों या किसी पोशाक सामग्री पर कशीदाकारी या छपाई करके, उपयोग करना; या

(च) भारतीय राष्ट्रीय झंडे पर किसी प्रकार का उत्कीर्णन करना; या

(छ) गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस सहित विशेष अवसरों पर समारोह के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखे जाने के सिवाय भारतीय राष्टीय झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने या ले जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग करना; या

(ज) किसी प्रतिमा या स्मारक या वक्ता की मेज या वक्ता के मंच को ढकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करना; या

(झ) जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जमीन या फर्श से छूने देना या पानी पर घसीटने देना; या

(ञ) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी वाहन, रेलगाड़ी, नाव या किसी वायुयान या ऐसी किसी अन्य वस्तु के हुड, टाप और बगल या पिछले भाग पर लपेटना, या

(ट) भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए प्रयोग करना; या

(ठ) जानबूझकर 'केसरी' पट्टी को नीचे रखकर भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराना।

3. राष्ट्रीय गान के गायन को रोकना

जो कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाए जाने से रोकता है या ऐसा गायन कर रही किसी सभा में व्यवधान पैदा करता है उसे तीन वर्ष तक के कारावास, या जुमनि, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

* 3क दूसरी बार के या बाद के अपराध के लिए न्यूनतम दंड

जो कोई व्यक्ति, जिसे धारा 2 या धारा 3 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध ठहराया गया हो, ऐसे किसी अपराध के लिए फिर से दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो उसे दूसरी बार के या उसके बाद के हर बार के अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकेगा।

नोट 1 : * राष्ट्रीय गौरव निवारण्ण (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 31, दिनांक 8.5.2003) के तहत जोड़ा गया।

नोट 2 : #राष्ट्रीय गौरव निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 51, दिनांक 20.12.2005) के तहत जोड़ा गया।